संख्या- 4/2024/1636/008-94-1002-099-2-2022

प्रेषक,

कुलदीप सिंह,
अनु सचिव।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उ०प्र० लखनऊ।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 **लखनऊ, दिनांक : 08 जनवरी, 2024**

विषय : निष्प्रयोज्य वाहनों के स्थान पर 06 अदद Maruti Suzuki Ertiga LXI (0) 1.5L MT (कुल कीमत रू० 46,50,000/-) क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासन के पत्र संख्या-1675/94-1-2023/008-94-1002-099-2-2022 दिनांक 09.11.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से निष्प्रयोज्य वाहनों के स्थान पर 06 अदद Maruti Suzuki Ertiga LXI (0) 1.5L MT (कुल कीमत रू० 46,50,000/-) क्रय किये जाने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में वित्त विभाग की अशासकीय संख्या अंकित न होने के कारण प्रश्नगत धनराशि आहरित नहीं की जा सकी है। अत: उक्त शासनादेश को निरस्त कर पुन: निम्नलिखित शर्तों के अधीन वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

(1) प्रस्तावित वाहनों का क्रय, वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 17.03.2023 एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनु०-2 के शासनादेशों में निर्धारित सीमा/व्यवस्था तथा परिवहन विभाग द्वारा वाहन क्रय हेतु निर्गत संगत शासनादेशों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(2) प्रतिस्थापन स्वरुप वाहन का क्रय डी०जी०एस० एण्ड डी० के नये जी०ई०एम० पोर्टल के अनुसार न्यूनतम दरों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(3) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत निष्प्रयोज्य वाहन की नीलामी की धनराशि राजकोष में निर्धारित मद में जमा कर दी गयी है।

(4) प्रश्नगत वाहन हेतु अनुमन्य / स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू० 46,50,000/- (रुपये छियालीस लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 091 **लेखा शीर्षक** 40700800030 0 स्टाम्प पंजीकरण-मुख्यालय **मानक मद** 14 मोटर गाड़ियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र **संख्या-E-9-322-X-2023-24 दिनांक 04.01.2024** में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

कुलदीप सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ०प्र० प्रयागराज।
3. निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
4. वित्त एवं लेखाधिकारी, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ०प्र० शासन।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कुलदीप सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।